न्यायालय : बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड इंदौर, म.प्र.
(समक्ष :: सुश्री ऐका सोनी)

दीवानी प्र.क.	1370ए/2023
फाइलिंग नं.	10845—2023
सी.एन.आर. नं.	एम.पी.0901—054805—2023
संस्थित दिनांक	07.12.2023

श्रीमती सारिका पति संजय गायकवाड
पुत्री स्व. गोपालराव घोरपडे
उम्र—49 वर्ष, व्यवसाय—गृहिणी,
निवासी—जीजा माता चौक के पास,
519, उषा नगर, एक्सटेंशन इंदौर
वर्तमान पता—106, शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन,
केट रोड, इंदौर म.प्र. ....**वादी**

विरूद्ध

01. श्रीमती वंदना पति कमलेश पारवानी
पुत्री स्व. गोपालराव घोरपडे
उम्र—48 वर्ष, व्यवसाय—गृहिणी
निवासी—रो—हाउस नंबर 52, स्कीम नंबर 134, इंदौर
ई—16, सुदामा नगर इंदौर म.प्र.

02. श्रीमती तरूणा पति स्व. गोपालराव घोरपडे
उम्र—74 वर्ष, व्यवसाय—गृहिणी
निवासी—ई—16, सुदामा नगर इंदौर म.प्र.
वर्तमान पता—106, शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन,
केट रोड, इंदौर म.प्र.

03. उपपंजीयक
प्रजीयक कार्यालय, क्षेत्र क्रमांक 1
मोती तबेला, इंदौर म.प्र. ....**प्रतिवादीगण**

वादिनी द्वारा :— श्री सतीश चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक—01 व 03 :— पूर्व से एकपक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक—02 द्वारा :— श्री जयदीप सिंह गौड अधिवक्ता।

(सुश्री ऐका सोनी)
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
इन्दौर (म.प्र.)

//निर्णय//

(आज दिनांक 13.03.2026 को पारित किया गया।)

01— वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वत्व की उद्घोषणा, सह—स्वामित्व लेख एवं हकत्याग लेख को शून्य घोषित करने अंशानुसार बंटवारा, पृथक—पृथक आधिपत्य एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02— वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया गया है कि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक—01 व 02 मूल रूप से एक ही परिवार के सदस्यगण है। वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक—01 के मूल पुरूष स्व. गोपालराव घोरपडे रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक—02 श्रीमती तरूणा घोरपडे एवं स्व. गोपालराव घोरपडे के दात्पत्य जीवन से दो पुत्री रत्न प्रथम वादिनी सारिका एवं द्वितीय प्रतिवादी क्रमांक—01 वंदना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्व. गोपालराव घोरपडे द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वकष्टार्जित आय से भवन क्रमांक ई—16, सुदामा नगर, इंदौर म.प्र. को विक्रेता शिक्षक कल्याण समिति सुदामा नगर, इंदौर से प्रतिफल धनराशि अदा कर क्रय किया गया था, जिसकी तल जमीन व खुली जमीन की लंबाई 47.5 फीट एवं चौडाई 27.5 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 1306 वर्गफीट होकर जिसकी चुतु:र्सीमा पूर्व में मकान नंबर ई—15, पश्चिम में मकान नंबर ई—17, उत्तर में ढाई फीट की गली तथा दक्षिण में सडक है। उपरोक्त वर्णित संपत्ति को आगे सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से वादपत्र में **वादोक्त संपत्ति** के नाम से संबोधित किया जावेगा।

03— वादिनी द्वारा आगे यह भी अभिवचन किये गये है कि स्व. गोपालराव घोरपडे की मृत्यु दिनांक 22.06.2006 के पश्चात उनके विधिक वारिस/उत्तराधिकारी वादिनी एवं प्रतिवादीगण वादोक्त संपत्ति के स्वामी हुये। वादोक्त संपत्ति पर मूल स्वामी द्वारा नगर पालिका निगम इंदौर के राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया। वर्ष 2021—22 तक स्व. गोपालराव घोरपुडे का नाम जलकर खाते में दर्ज रहा एवं नगर पालिका निगम के संपत्ति कर वर्ष 2021 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तरूणा का नाम अंकित हुआ। प्रतिवादी क्रमांक—01 द्वारा राजस्व अभिलेखों में राजस्व करों के भुगतान हेतु केवल प्रतिवादी क्रमांक—02 का नाम होने का फायदा उठाते हुये ई—पंजीकृत सह—स्वामित्व लेख दिनांक 22.06.2021, वादिनी के वादोक्त संपत्ति पर अधिकारों से वंचित करते हुये अपने को सदोष लाभ एवं वादिनी को सदोष हानि के आशय से प्रतिवादी क्रमांक—02 की

बिना जानकारी के निष्पादित करा लिया गया। प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा सह–स्वामित्व लेख के आधार पर सह–स्वामित्व लेख की निष्पादित दिनांक के मात्र 15 दिवस की अवधि में दिनांक 08.07.2021 को प्रतिवादी क्रमांक–02 से ई–पंजीकृत हकत्याग लेख बिना प्रतिफल राशि अदा कर निष्पादित करा लिया गया तथा उक्त हकत्याग लेख के माध्यम से श्रीमती तरूण घोरपडे एवं वादिनी को उनके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जो न तो बंधनकारक है, न ही प्रभावशील है।

04– वादिनी द्वारा आगे यह भी अभिवचन किये गये हैं कि प्रतिवादी क्रमांक–02 द्वारा किये गये अवैधानिक कृत्य के संबंध में वादिनी को जानकारी जनवरी–फरवरी 2023 में प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–01 व 02 से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने पर उनके द्वारा बातों को टालमटोल कर छिपाया गया। वादिनी को कूटरचित दस्तावेजों की प्रतिलिपि वादिनी को प्राप्त होने पर उसके द्वारा एक विधिक सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से दिनांक 18.07.2023 को अपने अभिभाषक श्री सुनील कुमार गंगवाल के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक–01 व 02 को प्रेषित किया गया। प्रतिवादीगण को सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत केवल प्रतिवादी क्रमांक–02 द्वारा दिनांक 08.08.2023 को सूचनापत्र का जवाब देकर यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक–01 व उसके पति कमलेश पारवानी द्वारा षडयंत्रपूर्वक संपत्ति हडपने के आशय से उक्त दस्तावेज का निष्पादन किया गया। प्रतिवादी क्रमांक–01 को सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी उसके द्वारा कोई भी जवाब एवं खण्डन प्रेषित नहीं किया गया। उक्त संबंध में वादिनी द्वारा थाना प्रभारी थाना द्वारिकापुरी इंदौर को दिनांक 26.08.2023 को वादोक्त संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक–01 के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः निवेदन किया कि वादोक्त संपत्ति को वादिनी के पिता स्व. गोपालराव घोरपडे की मृत्यु पश्चात 1/3 अंश की सह–स्वामी होने की स्वत्व की उद्घोषणा का निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित की जावे।

05– प्रतिवादी क्रमांक–02 द्वारा वादपत्र के अभिवचनों को आंशिक स्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्रमांक–02 के पति स्व. गोपालराव घोरपडे के जीवनकाल में वादोक्त संपत्ति पर नगरपालिका निगम, इंदौर के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रमांक–02 के पति का नाम अंकित रहा है। प्रतिवादी क्रमांक–02 के पति की मृत्यु उपरांत उसके द्वारा वादोक्त संपत्ति के नगर पालिका निगम के नामांतरण संबंधी प्रकिया से वादोक्त संपत्ति पर वारिस नाते अपना नाम इंद्राज करवा लिया था, जिसकी जानकारी प्रतिवादी क्रमांक–02 द्वारा अपनी दोनों

(सुश्री ऐश्वा सोनी)
[illegible] व्यवहार न्यायाधीश [illegible]
इन्दौर (म.प्र.)

पुत्रियों सारिका एंव वंदना को भी प्रदान कर दी गई थी। वादोक्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक–02 के पति स्व. गोपालराव घोरपडे की मृत्यु उपरांत उनके वारिसों, वादिनी एवं प्रतिवादीगण की रही है, परंतु कालांतर में प्रतिवादी क्रमांक–01 एवं उसके पति कमलेश पारवानी ने बदनियतीपूर्वक, दुर्भावना से धोखाधडीपूर्वक कृत्य करते हुये कूटरचित दस्तावेजों सहस्वामित्व लेख एवं हक्कत्याग लेख के आधार पर अन्य फर्जी दस्तावेज निर्मित कर दूषित मंशा से अपना नाम प्रविष्ट करवा लिया। प्रतिवादी क्रमांक–02 ने वादिनी से वादोक्त संपत्ति के संबंध में कूटरचित दस्तावेज शासकीय कार्यालय से निकालकर विधिवत कार्यवाही करने का कहा, जिसके उपरांत वादीनी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–02 को अभिभाषक के जरिये सूचना पत्र दिनांक 08.08.2023 को प्रेषित किया गया, जिसका जवाब प्रतिवादी क्रमांक–02 द्वारा वादिनी के अभिभाषक को भिजवाया गया। वादिनी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–01 के विरूद्ध थाना द्वारिकापुरी में शिकायत की जिसकी जानकारी प्रतिवादी क्रमांक–02 को नहीं रही। वादोक्त संपत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक–02 के साथ दोनों पुत्री का बराबर का हक्क एवं हिस्सा है। अतः निवेदन किया गया कि वादिनी द्वारा चाही गई सहायता को साक्ष्य उपरांत निष्कर्ष विधि अनुसार किया जाता है, तो प्रतिवादी क्रमांक–02 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक–01 के एकपक्षीय होने से उनके द्वारा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

06– वादिनी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई, जिनके समक्ष सकारण विश्लेषण उपरांत मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये जा रहे है :–

क्रमांक	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या भवन क्रमांक ई–16, सुदामा नगर इंदौर जिसकी तल मंजिल व खुली जमीन की लंबाई 47.5 फीट एवं चौडाई 27.5 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 1306 वर्गफीट **(वादोक्त संपत्ति)** वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक–01 के पिता स्व. श्री गोपाल राव घोरपडे की स्वअर्जित संपत्ति है ?	**"साबित"**
2	क्या वादिनी उक्त वादोक्त संपत्ति का विभाजन करवाकर 1/3 अंश प्राप्त करने की अधिकारी है ?	**"साबित"**

3	क्या वादिनी वादोक्त संपत्ति के उपरोक्त अंश अनुसार विभाजन करवाकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी है ?	**"साबित"**
4	क्या प्रतिवादी कमांक–03 द्वारा प्रतिवादी कमांक–01 के पक्ष में निष्पादित सह स्वामित्व लेख दिनांकित 22.06.2021 एवं हक त्याग लेख दिनांक 08.07.2021 अवैध व शून्यकरणीय होकर वादिनी पर बंधनकारी नहीं है?	**"साबित"**
5	सहायता एवं वाद व्यय ?	**"निर्णय की कंडिका कमांक 24 अनुसार"**

(सकारण निष्कर्ष एवं आधार)

वाद प्रश्न कमांक–01 लगायत 03 का निराकरण :–

07– प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु उक्त वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 (धारा 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार वादिनी पर है। इस संबंध में श्रीमती सारिका गायकवाड (वा0सा0–01) तथा अंकित सुर्वे (वा0सा0–02) को परीक्षित कराया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में तरूणा घोरपुडे (प्र0वा0सा0–01) को परीक्षित कराया गया है।

08– वादपत्र के अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि वादिनी द्वारा वादोक्त संपत्ति को वादिनी एवं प्रतिवादी कमांक–01 के पिता स्व. गोपालराव घोरपडे द्वारा अपने जीवनकाल में स्वकष्टार्जित आय से प्रतिफल धनराशि अदा कर रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांकित 17.10.1996 के माध्यम से विधिवत रूप से कय करना बताया है और स्वयं को सहअंशदार बताते हुए उसमें अंश घोषणा, सह स्वामित्व लेख एवं हकत्याग लेख को शून्य घोषित करने, अंश अनुसार बंटवारा, आधिपत्य एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए यह दावा प्रस्तुत किया है। उपरोक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **"शशिधर एवं अन्य बनाम श्रीमती अश्विनी उमा मथाड"** **2015**

11 एस.सी.सी. 269 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहदायिकों/सहखातेदारों/सह अंशदारों के मध्य संयुक्त संपत्ति में अंश के विभाजन के संबंध में साबित किये जाने वाले तथ्यों के संबंध में निम्नलिखित विधि अविनिर्धारित कि है–

*"**24.** We may consider it apposite to state being a well settled principle of law that in a suit filed by a co-sharerer, coparcener, co-owner or joint owner, as the case may be, for partition and separate possession of his/her share qua others, it is necessary for the Court to examine, **in the first instance**, the nature and character of the properties in suit such as who was the original owner of the suit properties, how and by which source he/she acquired such properties, whether it was his/her self-acquired property or ancestral property, or joint property or coparcenery property in his/her hand and, if so, who are/were the coparceners or joint owners with him/her as the case may be. **Secondly,** how the devolution of his/her interest in the property took place consequent upon his/her death on surviving members of the family and in what proportion, whether he/she died intestate or left behind any testamentary succession in favour of any family member or outsider to inherit his/her share in properties and if so, its effect. **Thirdly** whether the properties in suit are capable of being partitioned effectively and if so, in what manner? **Lastly,** whether all properties are included in the suit and all co-sharerers, coparceners, co-owners or joint-owners, as the case may be, are made parties to the suit? These issues, being material for proper disposal of the partition suit, have to be answered by the Court on the basis of family tree, inter se relations of family members, evidence adduced and the principles of law applicable to the case. (see "Hindu Law" by Mulla 17th Edition, Chapter XVI Partition and Reunion – Mitakshara Law pages 493 547)."*

09– उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार विभाजन के मामले में वादोक्त संपत्ति की प्रकृति व स्वरूप, मृत व्यक्ति द्वारा वसीयत किये जाने के संबंध में जानकारी एवं आवश्यक पक्षकार का संयोजन देखा जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम सम्पत्ति के प्रकृति व स्वरूप के संबंध में सारिका (वा0सा0–01) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि उसके पिताजी का नाम स्व. गोपालराव घोरपड़े एवं माता का नाम तरूणा घोरपड़े है। साक्षी द्वारा यह बताया गया कि उसके पिता स्व. गोपालराव द्वारा अपने जीवनकाल में स्वकष्टार्जित आय से शिक्षक कल्याण समिति, सुदामा नगर,

इंदौर से वादोक्त सम्पत्ति दिनांक 17.10.1996 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क. 1—ए/2576 के माध्यम से विधिवत रूप से क्रय की गई थी। उपरोक्त वादोक्त संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग उसके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में किया जाता रहा है तथा उनके द्वारा संपत्ति क्रय करने के पश्चात अपना नामांतरण नगर निगम कार्यालय में दर्ज कराया गया था। उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में साक्षी ने प्र0पी0—01 का विक्रय पत्र, प्र0पी0—17 का उसका पेनकार्ड, जिसमें उसका नाम एवं उसके पिता का नाम स्व. गोपालराव घोरपड़े अंकित है एवं प्र0पी0—18 का उसका आधारकार्ड प्रस्तुत किये हैं।

10— उपरोक्त तथ्यों का समर्थन अंकित सुर्वे (वा0सा0—02) द्वारा भी अपने न्यायालयीन साक्ष्य में किया गया है। उक्त तथ्यों के संबंध में साक्षीगण अपने प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे है। इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि वादोक्त सम्पत्ति स्व. गोपालराव घोरपड़े द्वारा अपनी स्वकष्टार्जित आय से क्रय की गई थी, के तथ्य का उल्लेख करूणा घोरपड़े (प्र0वा0सा0—02) द्वारा भी अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। साक्षी के उपरोक्त कथन **स्वीकारोक्ति** की श्रेणी में आता है। इस संदर्भ में **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58** (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 53) अवलोकनीय है, जो यह उपबंधित करती है कि *"किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्ष का या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिये सहमत हो जाते हैं।"* अतः वादोक्त संपत्ति स्व. गोपालराव घोरपडे की स्वअर्जित संपत्ति होने के संबंध में अन्य किसी विवेचना की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वादिनी द्वारा वादोक्त संपत्ति स्व. गोपालराव घोरपडे द्वारा स्वयं की आय से क्रय करने के संबंध में विक्रय पत्र पेश किया है, जिसे अन्य साक्षी द्वारा समर्थित किया गया है एवं स्वयं प्रतिवादी कमांक—02 द्वारा स्वीकार किया गया है, तब उपरोक्त न्यायदृष्टांत तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वादोक्त सम्पत्ति स्व. गोपालराव घोरपडे द्वारा स्वयं की स्वकष्टार्जित आय से क्रय की गई थी।

11— प्रकरण में निर्णय की कंडिका कमांक—10 में की गई विवेचना अनुसार एवं पक्षकारों द्वारा किये गये अभिवचन तथा स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि वादोक्त सम्पत्ति स्व. गोपालराव घोरपड़े की स्वकष्टार्जित सम्पत्ति है। स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि स्वअर्जित संपत्ति का स्वामी, संपत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी

होता है, उसके जीवनकाल में उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी आदि को उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। वह अपने जीवनकाल में संपत्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने एवं उसका किसी भी रीति में किसी भी व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार रखता है। उसके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति की मृत्यु उपरांत हिन्दू धर्म में स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में बंटवारा कराये जाने हेतु **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8** सुसंगत हो जाती है। उक्त प्रावधान अनुसार निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरूष की स्वअर्जित संपत्ति या सहदायिक की संपत्ति में उसके व्यक्तिगत हित का न्यागमन उत्तराधिकार के आधार पर अधिनियम के अंत में अनुसूची में उल्लेखित वर्ग–01 व 02 के उत्तराधिकारी के मध्य धारा 9, 10, 11 व 12 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होता है।

12– उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के लागू होने के लिये सर्वप्रथम संपत्ति को धारण करने वाले व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु होना आवश्यक है। उक्त व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका कोई भी वारिस धारा 8 के तहत बंटवारा कराने का अधिकारी होता है। हस्तगत प्रकरण में धारा 8 में वर्णित विधि अनुसार वादिनी, प्रतिवादी कमांक–01 तथा प्रतिवादी कमांक–02, हिन्दू उत्तराधेकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के अंतर्गत उल्लेखित विधिक उत्तराधिकारी की सूची में आते हैं।

13– प्रकरण में जहां तक स्व. गोपालराव घोरपड़े की मृत्यु दिनांक 22.06.2008 के पूर्व उनके द्वारा वसीयत निष्पादित किये जाने का प्रश्न है, तो उस संबंध में सारिका (वा0सा0–01) एवं अंकित सुर्वे (वा0सा0–02) द्वारा अपनी साक्ष्य में स्व. गोपालराव घोरपड़े द्वारा मृत्यु पूर्व वसीयत किये जाने के तथ्य के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त तथ्य का वर्णन तरूणा घोरपड़े (प्र0वा0सा0–02) द्वारा भी नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त न्यायदृष्टांत तथा मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि स्व. गोपलाराव घोरपड़े द्वारा उनकी मृत्यु पूर्व वादोक्त सम्पत्ति के संबंध में वसीयत नहीं की गई थी।

14– इसके अतिरिक्त उपरोक्त न्यायदृष्टांत अनुसार प्रकरण में यह भी देखा जाना है कि वादोक्त सम्पत्ति के संबंध में आवश्यक पक्षकार को संयोजित किया गया है। उक्त संबंध में सारिका (वा0सा0–01) द्वारा अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि म.प्र. शासन के उपकम इंदौर नगरपालिका निगम इंदौर द्वारा प्र0पी0–02 का स्व.

गोपालराव घोरपडे का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था। सारिका (वा0सा0—01) एवं अंकित सुर्वे (वा0सा0—02) द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में स्व. गोपालराव घोरपड़े की मृत्यु पश्चात उनके वारिस में श्रीमती तरूणा घोरपड़े, सारिका एवं वंदना का होना बताया गया हैं, जिसे तरूणा घोरपड़े (प्र0वा0सा0—02) द्वारा भी अपने न्यायालीयन साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। साक्षी के उपरोक्त कथन भी **स्वीकारोक्ति** की श्रेणी में आते होकर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58** (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 53) के अंतर्गत उक्त तथ्य को साबित करना आवश्यकता नही होने से अन्य किसी विवेचना की आवश्यकता नही है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में स्व. गोपालराव घोरपडे के सभी वारिसगण, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं, को पक्षकार बनाया गया है।

15— चूंकि, प्रकरण मूल पुरूष स्व. गोपालराव घोरपड़े की पुत्री, वादिनी द्वारा स्व. गोपालराव घोरपड़े की पुत्री, प्रतिवादी कमांक—01 एवं पत्नी एवं अपनी माता प्रतिवादी कमांक—02 के विरूद्ध बंटवारे के संबंध में लगाया गया है एवं प्रकरण में यह प्रमाणित पाया गया है कि वादिनी, प्रतिवादी कमांक—01 एवं प्रतिवादी कमांक—02, स्व. गोपालराव घोरपड़े की धारा—08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित विधि अनुसार वैध वारिस है। ऐसी स्थिति में वादिनी वादोक्त सम्पत्ति में अंशधारी होकर अपने अंशानुसार आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी होती है।

16— उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचना से न्यायालय का यह समाधान है कि, वादिनी यह अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करने में सफल रही है कि भवन कमांक ई—16 सुदामा नगर इंदौर जिसकी तल मंजिल व खुली जमीन की लंबाई 47.5 फीट एवं चौडाई 27.5 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 1306 वर्गफीट (वादोक्त संपत्ति) वादिनी एवं प्रतिवादी कमांक—01 के पिता स्व. श्री गोपाल राव घोरपडे की स्वअर्जित संपत्ति है एवं वादिनी उक्त वादोक्त संपत्ति का विभाजन करवाकर 1/3 अंश प्राप्त करने की अधिकारी है एवं वादिनी वादोक्त संपत्ति के उपरोक्त अंश अनुसार विभाजन करवाकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः **वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 03 "साबित"** के रूप में निराकृत किये जाते है।

वाद प्रश्न कमांक—04 का निराकरण :—

17— निर्णय की कंडिका कमांक—07 में विधि अनुसार उपरोक्त वाद प्रश्नों को साबित करने का भार भी वादिनी पर है। उपरोक्त संबंध में

सारिका (वा0सा0–01) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया गया है कि उसके पिता की मृत्यु पश्चात वर्ष 2021 में नगर निगम के राजस्व अभिलेखों में केवल उसकी माता का नाम अंकित हुआ था, इसकी जानकारी उसके साथ उसकी बहन प्रतिवादी कमांक–01 वंदना को भी रही है। साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी कमांक–01 द्वारा फायदा उठाते हुए प्रतिवादी कमांक–02 के साथ एक साथ सहस्वामित्व लेख दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से वादोक्त संपत्ति पर बिना किसी अधिकार के जालसाजीपूर्वक वादिनी को संपत्ति के अधिकार से वंचित करते हुए एवं प्रतिवादी कमांक–02 को अंधेरे में रखकर बिना जानकारी के निष्पादित करा लिया गया है। साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी कमांक–01 द्वारा इस सहस्वामित्व लेख के आधार पर अपने दुर्भावित मस्तिष्क से सोची समझी साजिश से दिनांक 08.07.2021 अर्थात् सहस्वामित्व लेख से 15 दिन पश्चात उसकी माता श्रीमती तरूणा घोरपड़े (प्रतिवादी कमांक–02) से उनके स्वत्व एवं अधिकारों का हक त्याग लेख बिना प्रतिफल राशि दिए अपने पक्ष में संपादित करा लिया गया। उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में साक्षी द्वारा प्र0पी0–03 लगायत प्र0पी0–05 नगरपालिका की संपत्ति कर, जल कर एवं अन्य रसीदें, प्र0पी0–06 का सहस्वामित्व लेख एंव प्र0पी0–07 का हकत्याग लेख प्रस्तुत किया है।

18– साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी कमांक–01 द्वारा की गयी अवैधानिक कृत्य के संबंध में जनवरी–फरवरी 2023 में उसे जानकारी प्राप्त होने पर उसने प्रतिवादी कमांक–01 व 02 से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा उक्त बातों को टालमटोल कर छुपाया गया तथा व्यक्तिगत प्रयास करने के पश्चात विधिक सूचना पत्र अभिभाषक श्री सुनिल कुमार गंगवाल के माध्यम से प्रतिवादीगण को प्रेषित कराया, जो प्रतिवादी कमांक–01 वंदना परवानी को प्राप्त हो गया प्रतिवादी कमांक–02 द्वारा सूचना पत्र का जवाब अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रेषित कराया गया। उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में वादिनी द्वारा प्र0पी0–08 का सूचना पत्र, प्र0पी0–09 लगायत प्र0पी0–12 की पोस्टल रसीदें, प्र0पी0–13 की अभिस्वीकृति एवं प्र0पी0–16 का प्रतिवादी कमांक–02 द्वारा दिया गया सूचना पत्र के जवाब प्रस्तुत किये गये हैं।

19– इस संदर्भ में **साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 27** अवलोकनीय है जिसमें यह उपबंधित है कि *"किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामिल की जाना अधिकृत या अपेक्षित करता है चाहे तामिल अथवा देना या भेजना, इन दोनों में से किसी भी पद का अथवा किसी*

(सुश्री एकता ...)
... व्यवहार न्यायाधीश ...
इन्दौर (म.प्र.)

अन्य पद का उपयोग किया गया हो वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अंतर्विष्ट रखने वाले पत्र उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामिल हुई समझी जावेगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिये जावे यह समझा जावेगा कि तामिल उस समय हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुकम में परिदत्त हो जाता।"

20– इसके अतिरिक्त ***न्यायदृष्टांत अनिल धीर विरूद्ध पंजाब राज्य सी.आर.आर.–521–2022(ओ एंड एम)*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि *"Sevice of notice cannot be denied in the light of section 27 of general clauses Act, as per which, a presumption is raised in favour of complainant that the notice had, in fact, been delivered."* उपरोक्त विधि एवं न्यायदृष्टांत से यह पाया जाता है कि वादिनी द्वारा सूचना पत्र प्रतिवादी कमांक–01 को प्रेषित किया गया, जो प्रतिवादी को प्राप्त हुआ है।

21– सारिका (वा0सा0–01) के उपरोक्त तथ्यों का समर्थन अंकित सुर्वे (वा0सा0–02) द्वारा भी किया गया है। इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि तरूणा घोरपड़े (प्र0वा0सा0–02) द्वारा भी अपनी साक्ष्य एवं प्र0पी0–08 के सूचना पत्र के प्र0पी0–16 के जवाब में प्रतिवादी कमांक–01 एवं उसके पति द्वारा षड्यंत्रपूर्वक सहस्वामित्व व हकत्यागलेख निष्पादित किये जाने के कथन किये गये हैं। साक्षी के उपरोक्त कथन भी स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आते होकर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58** (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 53) के अंतर्गत उक्त तथ्य को साबित करना आवश्यकता नही होने से अन्य किसी विवेचना की आवश्यकता नही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी कमांक–01 के एकपक्षीय होने से उक्त वादिनी साक्षीगण अपने प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं।

22– जब निर्णय की कंडिका कमांक–10 अनुसार यह प्रमाणित पाया गया है कि वादोक्त संपत्ति मूल पुरूष स्व. श्री गोपालराव घोरपडे की स्वअर्जित संपत्ति है एवं उक्त संपत्ति पर वादिनी एवं प्रतिवादी कमांक–01 व 02 का वैध वारिस होने के नाते समान अधिकार है, तब उपरोक्त साक्ष्य अनुसार प्रतिवादी कमांक–01 द्वारा प्रतिवादी कमांक–02 से निष्पादित कराये गये सहस्वामित्व लेख व हकत्याग लेख प्रतिवादी कमांक–02 की बीमारी का फायदा उठाते हुये, उसके स्वतंत्र सहमति के बिना धोखाधडी से होने से धारा 18(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत दुर्व्यपदेशन की श्रेणी में आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप धारा

19, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत प्रतिवादी क्रमांक–02 के सम्मति से शून्यकरणीय होकर बंधनकारी नहीं हैं।

23– उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचना से न्यायालय का यह समाधान है कि, वादिनी यह अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करने में सफल रहे है कि प्रतिवादी क्रमांक–03 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–01 के पक्ष में निष्पादित सह स्वामित्व लेख दिनांकित 22.06.2021 एवं हक त्याग लेख दिनांक 08.07.2021 अवैध व शून्यकरणीय होकर वादिनी पर बंधनकारी नहीं है। अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 04 "साबित"** के रूप में निराकृत किये जाते है।

वाद प्रश्न क्रमांक 05 का निराकरणः–

24– उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि भवन क्रमांक ई–16 सुदामा नगर इंदौर जिसकी तल मंजिल व खुली जमीन की लंबाई 47.5 फीट एवं चौड़ाई 27.5 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 1306 वर्गफीट (वादोक्त संपत्ति) वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक–01 के पिता स्व. श्री गोपाल राव घोरपडे की स्वअर्जित संपत्ति होकर वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक–01 व 02 वादोक्त संपत्ति का विभाजन करवाकर 1/3 अंश प्राप्त करने की अधिकारी हैं एवं वादोक्त संपत्ति का अंशअनुसार पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक–03 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–01 के पक्ष में निष्पादित सह स्वामित्व लेख दिनांकित 22.06.2021 एवं हक त्याग लेख दिनांक 08.07.2021 अवैध व शून्यकरणीय होकर वादिनी पर बंधनकारी नहीं है। इस प्रकार वादिनी अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रही है। अतः वादिनी का वाद **स्वीकार** कर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है कि :–

01. वादिनी, प्रतिवादी क्रमांक–01 व 02 वादोक्त संपत्ति का विभाजन करवाकर 1/3 अंश प्राप्त करने की अधिकारी हैं एवं वादोक्त संपत्ति का अंशअनुसार पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी है। पंजीयन क्रमांक MP179092021A1-463957

02. प्रतिवादी क्रमांक–03 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–01 के पक्ष में निष्पादित सह स्वामित्व लेख दिनांकित 22.06.2021 एवं (पंजीयन क्रमांक MP179092021A1546784) हक त्याग लेख दिनांक 08.07.2021 अवैध व शून्यकरणीय होकर वादिनी पर बंधनकारी नहीं है

02. प्रतिवादी क्रमांक–01 अपना, वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक–02 का वाद व्यय वहन करेंगे।

Amended by virtue of order dated 15.05.26

(श्रीमती पूर्वी ...)
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
इंदौर (म.प्र.)

(सुश्री एकता सोनी)
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
इंदौर (म.प्र.)

Amended by virtue of order dated 15.05.26

03. अधिवक्ता शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम 526 के अनुसार संगणित की जाए या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो वह तालिका में जोड़ी जाए।

तदानुसार जय पत्र की रचना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

13/03/26

(सुश्री ऐका सोनी)
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, इंदौर (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

13/03/26

(सुश्री ऐका सोनी)
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, इंदौर (म.प्र.)